राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–4) विभाग

क्रमांक :प. 1(5) कार्मिक/क–4/2021 जयपुर, दिनांक : **24.12.2021**

आज्ञा

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम 25 व 30 के अनुसरण में महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा में दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर एतद्द्वारा नियुक्त करते हैं। यह संगत तिथि हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में फाउण्डेशन कोर्स (प्रशिक्षण) के लिए रिपोर्ट करने की तिथि अथवा पूर्व में फाउण्डेशन कोर्स उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में इस विभाग को रिपोर्ट करने की तिथि अनुसार होगी :–

SNO	MERIT NO.	ROLL NO.	NAME OF CANDIDATE (SHRI/SMT./MS.)	CATEGORY	DATE OF BIRTH	REMARKS
1.	1	809244	MUKTA RAO	BC,WE	15/09/1980	Ag-GE-WE
2.	2	814886	MANMOHAN SHARMA	GE	10/06/1993	
3.	3	808319	SHIVAKSHI KHANDAL	GE,WE	12/08/1995	
4.	4	808146	NIKHIL KUMAR	GE	19/06/1994	
5.	5	813784	VARSHA SHARMA	GE,WE	17/01/1991	
6.	6	813661	YASHWANT MEENA	ST	15/06/1992	Ag-GE
7.	7	808106	RAVI KUMAR GOYAL	GE	15/08/1988	
8.	8	820215	BEENU DEWAL	GE,WE	15/08/1991	
9.	9	800577	VIKAS PRAJAPAT	BC,RG	20/02/1995	Ag-GE
10.	10	825313	SIDDHARTH SANDU	BC	23/06/1996	Ag-GE
11.	11	812558	MONIKA SAMORE	BC,WE	14/05/1994	Ag-GE-WE
12.	13	820815	POONAM	BC,WE,NG,RG	26/12/1991	Ag-GE-NG
13.	14	816124	GARIMA SHARMA	GE,WE	20/06/1992	
14.	15	808153	NIHARIKA SHARMA	GE,WE,RG	14/08/1992	
15.	16	820955	RAVI PRAKASH	BC	15/07/1992	Ag-GE
16.	17	825130	MAHESH GAGORIYA	SC	04/12/1996	Ag-GE
17.	18	811570	HUKMICHAND ROHALANIYA	BC	07/07/1992	Ag-GE
18.	19	809776	MALWIKA TYAGI	GE,WE	25/04/1988	
19.	20	811225	RISHI SUDHANSHU PANDEY	GE	11/07/1989	
20.	21	809534	SARITA SHARMA	GE,WE,RG	10/04/1990	
21.	22	820661	HANUMANA RAM	BC	01/08/1994	Ag-GE
22.	23	809344	KRATI VYAS	GE,WE	06/12/1989	Ag-GE
23.	24	810581	PADMA DEVI	BC,WE	27/07/1994	
24.	25	808174	KALPIT SHIVRAN	GE	07/01/1995	
25.	26	814816	NEHA MISHRA	GE,WE,NG,RG	29/06/1991	Ag-GE-NG

SNO	MERIT NO.	ROLL NO.	NAME OF CANDIDATE (SHRI/SMT./MS.)	CATEGORY	DATE OF BIRTH	REMARKS
26.	27	825657	RAVI KUMAR	BC	15/03/1992	Ag-GE
27.	28	805216	SUNIL KUMAR	BC	15/02/1993	Ag-GE
28.	29	800141	RAJESH JAKHAR	BC	14/07/1993	Ag-GE
29.	30	810077	DEVI LAL YADAV	BC,RG	05/07/1987	Ag-GE
30.	31	808684	KUNAL RAHAR	BC	30/05/1990	Ag-GE
31.	32	814765	MANISHA CHOUDHARY	BC,WE	02/01/1995	
32.	33	812423	AMITA MANN	BC,WE	06/11/1994	
33.	34	812977	SRISHTI JAIN	GE,WE	23/10/1994	Ag-GE
34.	35	809637	BHARAT RAJ GURJAR	MB,ME,NG,RG	03/12/1989	Ag-GE-NG
35.	36	814464	PUKHRAJ KANSOTIA	SC	05/02/1993	Ag-GE
36.	37	805089	RAJENDRA KUMAR	BC,NG,RG	20/02/1991	Ag-GE-NG
37.	38	811273	DIVYARAJ SINGH CHUNDAWAT	GE	20/12/1993	
38.	39	814313	SANJEEV KUMAR KHEDER	BC	13/03/1993	Ag-GE
39.	40	805277	SANJANA JOSHI	GE,WE	06/09/1995	Ag-GE
40.	41	825367	PUNIT KUMAR GELRA	GE	23/11/1989	
41.	42	809918	YATINDRA PORWAL	GE	15/02/1996	
42.	43	809789	KULDEEP SINGH SHEKHAWAT	GE	29/08/1986	
43.	45	803264	JOGENDRA SINGH	MB	07/04/1992	
44.	47	812889	BAJRANG LAL SWAMI	BC,RG	16/11/1992	
45.	48	801684	NEHA CHHIPA	BC,WE	20/07/1996	
46.	54	813346	RAJENDRA KUMAR	BC	05/05/1994	
47.	55	809815	ARCHANA BUGALIA	BC,WE	05/12/1989	Ag-BC
48.	58	809386	NEETU KAROL	ST,WE	07/06/1992	
49.	60	803373	VISHNU BANSAL	GE,NG,RG	14/03/1989	
50.	64	821254	MANOJ	BC	11/08/1991	
51.	65	810921	BRAJESH KUMAR	BC	12/11/1992	
52.	67	809135	ARCHANA CHOUDHARY	BC,WE	03/08/1994	Ag-BC
53.	69	811710	GOVIND SINGH BHICHHER	BC	09/09/1986	
54.	74	813795	CHHATRAPAL CHAUDHARY	BC	04/11/1988	
55.	78	813131	POOJA MEENA	ST,WE	15/07/1996	
56.	80	811051	MANISHA KUMARI MEENA	ST,WE	12/07/1996	Ag-ST
57.	83	809553	DEEPAK SINGH KHATANA	MB	20/04/1994	
58.	85	811739	GULAB SINGH VERMA	SC	25/12/1993	
59.	107	808976	REKHA MEENA	ST,WE	15/12/1990	Ag-ST
60.	130	812266	RAM SINGH GURJAR	MB	01/01/1990	
61.	144	810065	MEENU	MB,WE,RG	15/12/1991	
62.	174	811231	OM PRAKASH CHANDELIYA	BC,EX	13/01/1981	
63.	230	804096	DEEPAK MAHAWAR	SC	25/09/1996	

SNO	MERIT NO.	ROLL NO.	NAME OF CANDIDATE (SHRI/SMT./MS.)	CATEGORY	DATE OF BIRTH	REMARKS
64.	244	822614	PURAN KUMAR SHANI	BC,EX	12/07/1983	
65.	245	809688	RAMESH KUMAR	SC,RG	18/07/1983	
66.	260	808719	SHIV RAJ MEENA	ST	01/02/1989	
67.	266	810786	KAPIL KUMAR KOTHARI	ST	29/09/1994	
68.	287	814755	GARIMA SHARMA	GE,WE,WD,RG	24/09/1971	
69.	328	815885	SANJEEV KUMAR VERMA	SC,RG	01/03/1982	
70.	380	803190	BABU LAL	SC	03/11/1989	
71.	560	813222	SAPANA KUMARI	SC,WE	09/02/1994	
72.	568	811185	NAVJYOTI KANWARIA	SC,WE	04/04/1992	
73.	596	803380	PREETI CHACK	SC,WE	07/10/1991	
74.	1515	805225	AMITA BISHNOI	GE,WE,WD	02/08/1983	
75.	1545	814788	GAURAV BANKAWAT	GE,LD,RG	24/03/1985	
76.	1657	811182	BHARTI FOOLFAKER	BC,WE,WD,RG	10/06/1989	Ag-GE-WD
77.	1692	805159	NIRMA BISHNOI	BC,WE,WD,RG	03/02/1987	
78.	1758	814504	ABHIMANU SINGH KUNTAL	BC,HI	12/03/1995	

1. उक्त नियुक्तियाँ एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 4296/2021 सुरेन्द्र सिंह बनाम राज्य सरकार, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 4131/2020 ज्योति शर्मा बनाम राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 11806/2021 शिप्रा चौधरी बनाम राज्य एवं अन्य, एस. बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 7044/2020 किशन लाल सहारण एवं अन्य बनाम राज्य सरकार, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 8380/2015 राजेश शर्मा एवं अन्य बनाम राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 13582/2021 नटवर सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 13976/2021 कुलवन्त सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य एवं राज0 राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2018 से संबंधित दायर समस्त रिट याचिकाओं/विशेष अनुमति याचिकाओं (सील्ड कवर रखने के आदेश) एवं समस्त वादकरणों के अन्तिम निर्णयों के अध्यधीन रहेगी।
2. उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जांच के अध्यधीन रहेगी।
3. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांकः प. 1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006, प. 14(1)वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 तथा प. 15(1)वित्त/ नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 (Sehedule IV Rules no.16) के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 सं. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
4. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक(क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 15(1)कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।
5. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।
6. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियमों के नियम 30 के उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई हैं।
7. उक्त नियुक्तियाँ सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन हैं।
8. उक्त अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

9. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।

10. सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग–पत्र दे देता है या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुणा राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुणा राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करेंगे।

11. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।

12. जिन अभ्यर्थियों ने आधारभूत पाठ्यक्रम पहले से उत्तीर्ण कर लिया है, वे आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अंकतालिका रिपोर्टिंग के समय इस विभाग को आवश्यक रूप से दिनांक 27.12.2021 को प्रातः 09:30 बजे (कमरा नं. 1221, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर) में उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे।

13. अभ्यर्थियों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 27.12.2021 को प्रातः 09:30 बजे तक अपने आवश्यक दस्तावेजों सहित हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे।

14. अभ्यर्थियों के लिए हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर द्वारा तय प्रशिक्षण के दौरान छात्रावास में निवास करना अनिवार्य है। छात्रावास सुविधा 26.12.2021 को अपरान्ह पश्चात से उपलब्ध होगी।

15. हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 30.11.2021, 03.12.2021 एवं 21.12.2021 में उल्लेखित दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें (प्रति संलग्न)।

16. प्रशिक्षण संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर की वेबसाईट **www.hcmripa.gov.in** पर उपलब्ध है।

17. बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्व प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।

18. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को **"Self declaration"** अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्ध अमल में लाई जावेगी (प्रपत्र संलग्न)।

19. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं है। परन्तु प्रथम प्रसव से एक जीवित सन्तान है एवं पश्चावर्ती प्रसव में एक से अधिक सन्तान होने पर ऐसी सन्तानों को एक इकाई ही माना जायेगा (प्रपत्र संलग्न)।

20. उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 7 दिवस पश्चात तक भी रिपोर्ट नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

21. उक्त सभी अभ्यर्थी कार्यग्रहण स्थान पर संलग्न प्रपत्रों में सूचना भरकर अपने मूल दस्तावेजों मय फोटोयुक्त पहचान पत्र के स्थान पर उपस्थित होवें।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(डॉ0 रविन्द्र गोस्वामी)
संयुक्त शासन सचिव
0141–2227347

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/शासन विशिष्ठ सचिवगण।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं पदेन महानिदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपस्थिति प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों से उक्त आज्ञा के बिन्दु संख्या 10 में उल्लेखित "बन्ध पत्र", बिन्दु संख्या 17 में अंकित आपराधिक प्रकरणों के संबंध में **"Self declaration"** अथवा शपथ—पत्र तथा बिन्दु संख्या 18 के अनुसार, जो अभ्यर्थी विवाहित हों उनके विवाह पंजीयन प्रमाण—पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना की सत्यापित प्रति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशिक्षण हेतु इनकी उपस्थिति सुनिश्चित कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
7. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क—4/2) विभाग।
8. संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रशासनिक सुधार विभाग।
9. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के व्यापक प्रचार—प्रसार हेतु।
12. संबंधित अधिकारीगण ।
13. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग को उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ प्रेषित है :—

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ18(1)एफसी/एसएस/रीपा/2021/पार्ट -II/13756 दिनांक 30.11.2021 के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल प्रशिक्षु निम्न निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से करें:–

1. सभी प्रशिक्षणार्थी कॉविड उपयुक्त व्यवहार का ध्यान रखते हुए निम्न बिन्दुओं का ध्यान आवश्यक रूप से रखेंगे:–
   (अ). सभी प्रशिक्षणार्थी को वेक्सिन के दोनों खुराक का प्रमाण–पत्र लाना होगा।
   (ब). एक खुराक अथवा कोई भी खुराक नहीं ली गई तो रिपोर्टिंग से 48 घंटे पहले की RTPCR, Negative होने की रिपोर्ट लानी होगी।
   (स). सभी प्रशिक्षणार्थी, समुचित मात्रा में मास्क लाएंगे तथा प्रशिक्षण काल के दौरान व पश्चात् मास्क का प्रयोग करेंगें।
   (द). सभी प्रशिक्षणार्थी Social Distancing सुनिश्चित करेंगें।
   (य). यदि किसी प्रशिक्षणार्थी के कॉविड के लक्षण पाए जाते हैं, तो वह तुरन्त कोर्स डायरेक्टर या एसोसिएट कोर्स डायरेक्टर को सूचित करेंगें।
2. प्रशिक्षण पूर्णतः आवासीय है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी को स्वयं के परिवार के किसी भी सदस्य को रखने की अनुमति नहीं होगी।
3. प्रशिक्षणार्थियों द्वारा संस्थान में वाहन का प्रयोग वर्जित है। कोई भी प्रशिक्षणार्थी वाहन लेकर संस्थान में नहीं आएगा।
4. सभी प्रशिक्षणार्थी रात्रि 09:00 बजे से पूर्व विश्रान्ति में प्रवेश कर लेंगे।
5. आधारभूत प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि से सातवें दिन तक ही प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थिति स्वीकार की जावेगी। इसके बाद आने वाले प्रशिक्षणार्थी कार्मिक विभाग या संबंधित नियोक्ता अधिकारी के यहाँ अपना उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

10115/रा.प्र/m
06.12.2021

राजस्थान सरकार

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर 302017

क्रमांक:-एफ18(1)एफसी/एसएस/रीपा/2021/पार्ट-।।/14031 दिनांक 3/12/2

प्रमुख शासन सचिव
कार्मिक विभाग
राजस्थान सरकार।

AS(AU)
3543
07 DEC 2021

विषय:- राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं के प्रशिक्षुओं को अवकाश के संबंध में जारी किए जाने वाले निर्देशों के क्रम में।

प्रसंग:- संस्थान का पत्र क्रमांक:-एफ18(1)एफसी/एसएस/रीपा/2021/पार्ट-।।/13756 दिनांक 30.11.2021

6/12

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि पूर्व में आपको संस्थान का पत्र क्रमांक:-एफ18(1)एफसी/एसएस/रीपा/2021/पार्ट-।।/13756 दिनांक 30.11.2021 द्वारा राज्य सेवाओं के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम की तैयारी एवं प्रशिक्षुओं को जारी किए जाने वाले निर्देशों के क्रम में लिखा गया था। उक्त निर्देशों में अवकाश के संबंध में ह.च.मा राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विभिन्न राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं के प्रशिक्षुओं हेतु निम्नानुसार मापदण्ड प्रस्तावित है:-

1. प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण काल में राजस्थान सेवा नियम के तहत निर्धारित आकस्मिक अवकाश ही देय होंगे। इसके अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नही होगा।
2. प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण काल में विशेष परिस्थितियों (जैसे यूपीएससी व आरपीएससी या अन्य की परीक्षा दिवस के दिन) में ही नियमानुसार देय अवकाश स्वीकृत किये जाएगें।

उपरोक्त आकस्मिक अवकाशों के अलावा, प्रशिक्षु अन्य निजी कारणों से प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहते हैं, तो ऐसे प्रशिक्षु को संबंधित वर्ष के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम की परीक्षा में बैठने का अधिकार नही होगा। ऐसे प्रशिक्षुओं को आगामी वर्षों में अगले बैच के साथ पुनः आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम व परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी एवं तत्पश्चात् ही उनका संबंधित सेवा में स्थायीकरण हो सकेगा।

उक्त निर्देशों को भी आपके द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किए जाने के कार्यालय आदेश में सम्मिलित करने की कृपा करावें।

7/12/21

3/12/2021
(डॉ. एन. आर. पारीक)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

राजस्थान सरकार
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
जयपुर

क्रमांकः एफ 18( )/एफसी/एसएस/रीपा/2021/15173 जयपुर, दिनांक 21.12.2021

अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/सचिव

विषयः- राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाऐं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थियों के आधारभूत प्रशिक्षण के क्रम में।

महोदय,

उक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाऐं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान राज्य सेवाओं का आधारभूत प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो कि 15 सप्ताह का है, निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है:-

<table>
<tr><th>क्र.स.</th><th>सेवा</th><th>संस्थान जहां प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति देनी है।</th><th>उपस्थिति देने का समय</th><th>विशेष विवरण</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>राजस्थान प्रशासनिक सेवा</td><td rowspan="3">ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (ओ.टी.एस.), जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।</td><td rowspan="4">प्रथम चरण (निर्धारित तिथि को प्रातः 9.30 बजे)</td><td rowspan="4">प्रथम चरण हेतु उपस्थिति दिये जाने का दिनांक कार्मिक विभाग द्वारा उपयुक्त समय पर सूचित किया जावेगा।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>राजस्थान पुलिस सेवा</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>राजस्थान लेखा सेवा</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>राजस्थान महिला एवं बाल विकास सेवा</td><td>ह.च.मा. रीपा, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, उदयपुर</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>राजस्थान राज्य बीमा सेवा</td><td rowspan="12">• इन सेवाओं का आधारभूत प्रशिक्षण द्वितीय चरण में होगा तब तक चयनित अभ्यर्थी अपने-अपने विभागों में उपस्थिति देगें।
• नियुक्ति प्राधिकारी चयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण करने पर संस्थानिक प्रशिक्षण/अटैचमेन्ट पूर्ण करवायेगें।
• विभागीय कर्तव्यों के निर्वहन में इनकी सेवाऐं ले सकेगें।</td><td rowspan="12">द्वितीय चरण (निर्धारित तिथि को प्रातः 9.30 बजे)</td><td rowspan="12">प्रथम चरण के पूर्ण होने के पश्चात् द्वितीय चरण प्रारम्भ होगा जिसकी सूचना तत्समय संस्थान द्वारा दी जावेगी।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>राजस्थान उद्योग सेवा</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>राजस्थान सहकारी सेवा</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>राजस्थान कारागार सेवा</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>राजस्थान नियोजन सेवा</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>राजस्थान महिला विकास सेवा</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>राजस्थान अल्प संख्यक मामलात सेवा</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>राजस्थान आबकारी सेवा(जनरल ब्रान्च)</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>राजस्थान आबकारी सेवा (प्रिवेंटिव फोर्स)</td></tr>
</table>

Scanned with Oken Scanner

- आपसे अनुरोध है चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करते समय उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार सूचित करावें।
- प्रशिक्षण हेतु ह.च.मा. रीपा, जयपुर/ ह.च.मा. रीपा, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, उदयपुर में प्रशिक्षणार्थियों के उपस्थिति हेतु नियत दिवस को विभाग से एक नोडल अधिकारी तथा दो कार्मिक जो संस्थापन और लेखा शाखा के कार्यो से विज्ञ हो, को नियुक्त कर संस्थान में भिजवायें। नोडल अधिकारी का नाम, पद, दूरभाष संख्या, मोबाइल न0 तथा ई-मेल आई.डी. से संस्थान को दिनांक आज अवगत करावें।
- **प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होने वाले प्रशिक्षु अधिकारीगण निम्न तैयारी के साथ उपस्थित होवें:-**
- सभी प्रशिक्षणार्थी कोरोना वेक्सिनेशन के दोनों खुराक का प्रमाण-पत्र लाएं।
- एक खुराक अथवा कोई भी खुराक नही ली गई तो रिर्पोटिंग से 48 घंटे पहले की RTPCR, Negative होने की रिपोर्ट लाएं।
- विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि वे विवाहित हैं)
- पासपोर्ट साईज फोटो की 10 प्रतियॉं + स्टाम्प साईज फोटो की 10 प्रतियॉं
- बैंक अकाउन्ट का विवरण (बचत खाता संख्या, ब्रांच, आई.एफ.एस.सी. कोड, कैंसिल चैक)
- पेन कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रति
- कक्षा 10 की अंक तालिका
- नियुक्ति आदेश
- मैस एवं अन्य खर्चो के लिए निर्धारित राशि जमा करवानी होगी।
- शारीरिक व्यायाम सत्र हेतु यथोचित स्पोर्ट्स किट(पुरूष/महिला-ट्रेक सूट व स्पोर्टस शूज।
- शैक्षिक सत्रों हेतु औपचारिक वेशभूषा
- प्रशिक्षण के सम्बंध में विस्तृत दिशा-निर्देश संस्थान की वेबसाइट www.hcmripa.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(टीकम चन्द बोहरा)
अतिरिक्त महानिदेशक एवं
संयुक्त शासन सचिव(प्रशिक्षण)

क्रमांक: एफ 18()/एफसी/एसएस/रीपा/2021 / 15174-94 दिनांक 21-12-2021

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. नियुक्ति प्राधिकारी समस्त...
2. निजी सहायक, महानिदेशक महोदय/अतिरिक्त महानिदेशक
3. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) महोदय,
4. समस्त प्रभारी अधिकारी, ह.च.मा. रीपा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु उक्त कार्यक्रमानुसार अपने अनुभाग से संबधित कार्य-योजना तैयार करें।
5. रक्षित पत्रावली।
6. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र उदयपुर।

21/12/21
(विष्णु कुमार गोयल)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

Scanned with Oken Scanner

—::घोषणा पत्र::—

मै..पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..

निवासी...

शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा चयन राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2018 के परिणाम एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा में हुआ है। मैं निम्न प्रकार से घोषणा करता/करती हूँ कि :—

1. दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की संख्या................थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

क.स.	नाम	जन्म तिथि
1.		
2.		
3.		
4.		

2. दिनांक 01.06.2002 को अथवा इसके पश्चात् मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की संख्या में वृद्धि हुई है एवं वर्तमान में मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की कुल संख्या................है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

क.स.	नाम	जन्म तिथि
1.		
2.		
3.		
4.		

3. यह कि उक्त तथ्य मेरी निजी जानकारी एवं अभिलेख के आधार पर सही है एवं इनके सत्य होने की घोषणा करता/करती हूँ।

घोषणाकर्ता

::–शपथ पत्र::–

मै..पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री...

निवासी..

शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है एवं न ही मेरे विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लम्बित है।

शपथग्रहिता

::–सत्यापन::–

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है, इसमें मैने कोई तथ्य छिपाया नहीं है, यदि उक्त तथ्य/सूचना असत्य पाई जाती है तो मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकती है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

शपथग्रहिता

::–वचनबन्ध प्रपत्र::–

मै..पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..

निवासी..

वचनबद्ध हूँ कि मैं धूम्रपान एवं गुटखे का सेवन नहीं करता/करती हूँ।

वचनबद्धकर्ता

वर्तमान पासपोर्ट साईज फोटो

सेवा में,

श्रीमान संयुक्त शासन सचिव,
कार्मिक (क–4/1) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :– राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2018 में चयनित राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रशिक्षण पर उपस्थिति दिनांक 27.12.2021 की स्थिति में व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थी का चयन राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग में होने के फलस्वरूप दिनांक .... को .... बजे हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान में प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति प्रस्तुत कर आदिनांक की स्थिति में प्रार्थी की व्यक्तिगत सूचना निम्नानुसार प्रेषित है :–

क्रम सं0	चाही गई सूचना	विवरण
1	प्रशिक्षु अधिकारी का नाम (हिन्दी/अंग्रेजी) में	
2	पिता का नाम (हिन्दी/अंग्रेजी) में	
3	जन्मतिथि	
4	लिंग	
5.	वर्ग	
6.	गृह जिला/राज्य	
7.	राजकीय सेवा में होने पर कर्मचारी आई.डी. (Employee I.D.) एवं प्रथम नियुक्ति दिनांक	
8.	दूरभाष नं0	
9.	ई–मेल आई.डी.	
10.	स्थाई पता	
11.	वर्तमान पता	
.12.	मूल निवास स्थान	
13.	मोबाईल नं0	
14.	आपातकालीन मोबाईल नं0	
15.	दिनांक 27.12.2021 की स्थिति में सन्तानों की सूचना का विवरण	
16.	अन्तिम शैक्षणिक योग्यता	
17.	विवाहित अथवा अविवाहित	
19.	वर्तमान स्थिति में विभागीय जांच/एफआईआर/न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के संबंध में सूचना का पूर्ण विवरण	

हस्ताक्षर मय दिनांक